

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : स्वाति आर.टी.एस
मिसल नं.- 03/2024
सरकार बनाम हरिराम, छिबुराम, रामवतार, देबुराम पुत्रगण
बनवारी निवासी सूरजगढ

किस्म मुकदमा-अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक: 12.01.2024

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल हरिराम, छिबुराम, रामवतार, देबुराम पुत्रगण बनवारी निवासी वार्ड न.01 सरस्वती कालेज के पास सूरजगढ द्वारा रोही मौजा सूरजगढ की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 711 के कुल रकबा 1.99 है. किस्म बा.-1 में से 0.0200 है. भूमि को पोल एवं तारबाड करके अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल हरिराम एवं छिबुराम ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं गैर सायल रामवतार एवं देबुराम बावजूद सूचना अनुपस्थित। गैर सायलान द्वारा जवाब नोटिस के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि गैर सायल द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया। अतः गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिए जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 06 रुपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 12.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

किस्म- 23-24 के लगे 1.99
4 के 20 प्र 43 पर राशि
08/1 के 31 प्र 81 गिरी
M
T/M

(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ